

राजस्थान पत्रिका दिनांक: 30/8/2018

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय महिला अधिकारिता
(राज्य महिला सन्दर्भ केन्द्र)
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: अफ. 27(1)(36)(C)/मज/SRCW/बो/बो/बो/2018-19/94619 जयपुर, दिनांक: 24.8.18

विज्ञप्ति

बालिका स्पर्धाकरण एवं बेटो बचाओ बेटो पढ़ाओ योजना के प्रति समाज में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को बेटो बचाओ बेटो पढ़ाओ थीम पर कवि सम्मेलन 'एक शाम बेटियों के नाम' सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रबुद्ध कवि/ कवियत्रियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक कवि/ कवियित्री राजस्थान प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य विवरण विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर एवं पूर्ण भरकर संबंधित जिले के ईमेल आईडी पर अथवा सहायक निदेशक कार्यालय, महिला अधिकारिता में व्यक्ति-शः जमा करवा सकते हैं।

अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी)
महिला अधिकारिता

डीआईपीआर/सी/11491/2018

4
दैनिक भास्कर दिनांक: 30/8/2018

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय महिला अधिकारिता
(राज्य महिला संदर्भ केन्द्र)
J-7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

कमांक: एफ.27(1)(36)(1)/मअ/SRCW/बीबीबीपी/2018-9/9469 जयपुर, दिनांक 24.8.2018

विज्ञप्ति

बालिका सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति समाज में जन-जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दिनांक 11 अक्टूबर 2018 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर कवि सम्मेलन 'एक शाम बेटियों के नाम' सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रबुद्ध कवि/कवयित्रियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक कवि/कवयित्री रजिस्ट्रेशन प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य विवरण विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर एवं पूर्ण भरकर संबंधित जिले के ईमेल आई.डी. पर अथवा सहायक निदेशक कार्यालय, महिला अधिकारिता में व्यक्तिशः जमा करवा सकते हैं।

अतिरिक्त निदेशक (एसएचजी)
महिला अधिकारिता

डीआईपीआर/सी/11491/2018



'एक शाम बेटियों के नाम' : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कवि सम्मेलन

क्र.सं.	प्रतिभागी विवरण पत्र
1.	कवि/कवयित्री का नाम:-
2.	पता:-
3.	ई-मेल आईडी:-
4.	मोबाईल नम्बर:-
5.	पूर्व में किसी कवि सम्मेलन में भाग लिया गया हो, तो उसका विवरण
6.	काव्य पाठ हेतु कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो, उसका विवरण:-
7.	जिस जिले में काव्य पाठ किया जाना है (केवल 1 ही जिले का नाम लिखें)
8.	अन्य कोई सूचना:-

नियम एवं शर्तें-

1. रजिस्ट्रेशन फार्म प्रतिभागी को विभागीय वेबसाईट पर जिलावार अंकित संबंधित जिले की ई-मेल (जिस जिले में काव्यपाठ किया जाना है) पर दिनांक 10 सितम्बर, 2018 तक भिजवाने का श्रम करें।
2. कवि/कवयित्री द्वारा पूर्व में किए गए कविता पाठ का विडियो विभागीय ई-मेल पर भिजवाने का श्रम करें।
3. इस हेतु गठित समिति द्वारा स्क्रीनिंग के उपरांत अनुशंसित कवियों द्वारा दिनांक 11.10.2018 को कविता पाठ किया जा सकेगा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर कविता पाठ /संभाषण की अनुमति नहीं होगी।
4. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण हेतु कविता पाठ किया जाएगा।
5. प्रस्तुतकर्ता को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि उनके कविता पाठ से किसी व्यक्ति/संगठन/संस्था की भावनाओं के ठेस ना पहुँचे तथा किसी के विरुद्ध अनुचित टिप्पणी/व्यंग्य पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
6. प्रतिबंध के उपरांत भी यदि अनुचित वक्तव्य दिया जाता है, तो वक्ता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

हस्ताक्षर
(प्रतिभागी)